ADITYA BIRLA

UltraTech

मानक शर्तों सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

जनपद सोनभद्र में तहसील ओबरा के अन्तर्गत मे0 अल्ट्राटेक सीमेण्ट लिमिटेड द्वारा ग्राम कोटा और पडरछ में खनन कार्य हेतु प्रस्तावित 331.475 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में –

(वन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या7314/14–3–1980/82 दि0 31.12. 85 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रशनगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु की किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचायंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

UltraTech Cement Lim
Unit: Dalla Cement Wor

Authorised Signatory

UltraTech CEMENT
The Engineer's Choice

ADITYA BIRLA

UltraTech

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरिक्षण हेतु जाने पर
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवष्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

ADITYA BIRLA

UltraTech

11. सडक निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्ष उत्तर प्रदेष लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 / C dt. 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेडों का रोपड तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेडों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरिक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

ADITYA BIRLA

UltraTech

15.वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करे उसे सुनिष्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निमार्ण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसी याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक षर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त षर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

बिन्दू संख्या 9 व 11 पर वर्णित शर्तें याची पर लागू नही हैं। मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी षर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

UltraTech Cemen
Unit: Dalla Cemen

Authorised Sign.

UltraTech CEMENT
The Engineer's Choice